



2026:AHC:124890-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं - 22997 वर्ष 2026

राजेश कुमार अगरवाल..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य..... प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : कार्तिकेय अग्रवाल, पूर्वा अग्रवाल, पुनीत कुमार गुप्ता

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : अंकित गौड़, मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 39

माननीय न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह

माननीय न्यायमूर्ति श्री सत्य वीर सिंह

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री कार्तिकेय अग्रवाल को सुना; छावनी बोर्ड के अधिवक्ता श्री अंकित गौड़ और राज्य प्रतिपक्षियों के अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री अंबरीश शुक्ला ने भी इस मामले में भाग लिया।

2. प्रस्तुत रिट याचिका प्रतिपक्षी संख्या-3 और 4 को याचिकाकर्ता द्वारा निष्पादित किराया समझौते/उप-पट्टा विलेख को तीसरे पक्ष के पक्ष में पंजीकृत करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिनके पास संपत्ति संख्या-167, जी.एल.आर. सर्वेक्षण संख्या-357/1742.357/1742/1, 357/1742/2, 357/1742/3, 357/1742/6, 357/1742/7, 357/1742/8, चैपल स्ट्रीट, मेरठ कैंट, मेरठ को किराए पर/उप-पट्टे पर दिया गया है।

3. जबकि छावनी बोर्ड को इस पर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता के पक्ष में छावनी बोर्ड द्वारा दिनांक 09.02.2026 के नए लीज विलेख के निष्पादन के बाद और स्वीकृत मानचित्र के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा सुपर स्ट्रक्चर के पूरा होने के बाद निर्माण शुरू किया गया है,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रतिपक्षी संख्या-4 रिट-सी संख्या-12897 वर्ष में दिनांक 28.08.2010 के आदेश पर भरोसा करके रेंट एग्रीमेंट/सब लीज विलेख के पंजीकरण का विरोध कर रहा है 2008 (छावनी बोर्ड, वाराणसी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य)। तैयार संदर्भ के लिए, उक्त आदेश का प्रासंगिक उद्धरण नीचे पढ़ा गया है:

“रिट याचिका में दिए गए बयानों से यह स्पष्ट है कि फर्जी बिक्री/पट्टा विलेख उन व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किए जा रहे थे जो लीज विलेख या बिक्री विलेख निष्पादित करने के हकदार नहीं थे और रक्षा मंत्रालय से संबंधित संपत्ति के संबंध में नकली बिक्री विलेख पंजीकृत किए जा रहे थे और दस्तावेज के पंजीकरण के बाद। इसके अलावा फर्जी बिक्री विलेख/पट्टा विलेख के इस तरह के निष्पादन को रोकने के लिए बिक्री विलेख को रद्द करने के लिए इसे रद्द करने के लिए रक्षा विभाग के समक्ष मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ता है।

रिट याचिका में बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम उप-पंजीयक (पंजीकरण) को निर्देश देते हैं कि वह किसी भी दस्तावेज को पंजीकृत न करे और छावनी बोर्ड के अंतर्गत आने वाली और रक्षा मंत्रालय से संबंधित भूमि के किसी भी बिक्री विलेख/पट्टा विलेख को निष्पादित न करें, बिना किसी आपत्ति या अनुमति के, छावनी बोर्ड, वाराणसी के रक्षा संपदा अधिकारी द्वारा कोई आपत्ति या अनुमति न दिए बिना।

उपरोक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका का अंत में निस्तारण किया जाता है।

4. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, इस हद तक कि छावनी बोर्ड उस मुकदमेबाजी में एक पक्ष नहीं था, और वर्तमान में यह याचिकाकर्ता द्वारा लाए गए कारण का विरोध नहीं करता है, स्पष्ट रूप से, प्रतिपक्षी संख्या-4 द्वारा संदर्भित आदेश का इस मामले के तथ्यों से कोई संबंध नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में, उक्त आदेश का औचित्य फर्जी विक्रय विलेखों के पंजीकरण को रोकना है। वर्तमान प्रकरण में ऐसा कोई प्रश्न या विवाद सर्वथा विद्यमान नहीं है।



6. ऊपर उल्लिखित तथ्यों के लिए, लेन-देन के लिए आवश्यक पक्ष याचिकाकर्ता द्वारा तीसरे पक्ष के पक्ष में किराया समझौते/उप-पट्टा विलेख के निष्पादन का विरोध नहीं कर रहे हैं। उस प्रकाश में देखा जाए, तो प्रतिपक्षी संख्या-4 केवल एक किराया/पट्टा विलेख पंजीकृत करने का अधिकार है जिसे उक्त प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

7. जहां तक कोई वैध आपत्ति मौजूद नहीं है, प्रस्तुत रिट याचिका का निस्तारण प्रतिपक्षी संख्या-4 को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि वह याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे रेंट एग्रीमेंट/सब-लीज विलेख को पंजीकृत करे, यदि कोई कानूनी बाधा नहीं है।

(न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह)

(न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह)

3 जून 2026

अभिलाष